न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –890 / 2024

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–– **प्रतिवादीगण**

2. विकास कस्वां पुत्र हरदत कस्वाँ जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. धीरज कस्वां पुत्र हरदत कस्वां जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रमन पुत्र संदीप जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. अमन कस्वाँ पुत्र संदीप कस्वाँ जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– **तरतीवी प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः– 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 150 / 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 12.3050 है0 भूमि वादीया के ससुर रतिराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीया के ससुर रतिराम पुत्र पेमाराम का दिनांक 13.03.2024 को स्वर्गवास हो चुका है वादीया के ससुर ने अपने जीवन काल में दिनांक [illegible].0[illegible]19 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा किकराली तहसील [illegible] सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 150 / 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 12.30[illegible] है0 भूमि यानी अपनी [illegible]शुदा समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि की वसीयत अपने निम्न प्रकार से की जिसके अनुसार उतरी पासा की 1/2 हिस्सा भूमि विकास कस्वां व धीरज कस्वां पि0 हरदत सिंह जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर के पक्ष में ब0 हि0 ब0 व दक्षिण पासा की 1/2 हिस्सा भूमि सुमित्रा पत्नी संदीप कुमार, रमन व अमन कस्वां पि0 संदीप कुमार जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर के पक्ष में ब0 हि0 ब0 करवाई थी। वसीयतकर्ता रतिराम पुत्र पेमाराम ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब बहकाव भय या प्रलोभन के दो गवाह दयाराम पुत्र प्रेमराज जाति सुथार निवासी किकराली तहसील नोहर व विजयसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट (गोदारा) निवासी किकराली तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे तथा वसीयत नोटेरी जसवंतसिंह आर्य, नोहर से दिनांक 13.07.2019 को तस्दीक हुई।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहन श्री दयाराम पुत्र प्रेमराज जाति सुथार निवासी किकराली तहसील नोहर व विजयसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट (गोदारा) निवासी किकराली तहसील नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारेसमक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वसीयत के संबंध में कुलदीप पुत्र परसारा जाति जाट निवासी किंकराली व सुमित्रा पत्नी संदीप जाति जाट निवासी किंकराली, नानकराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी किंकराली ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा किंकराली सम्वत 2073–76 खाता संख्या 150/141, मृत्यु प्रमाण पत्र रतिराम, चित्रप्रति वसीयतनामा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील [illegible] दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन [illegible] ससुर रतिराम पुत्र पेमाराम का दिनांक 13.03.2024 को स्वर्गवास हो चुका है [illegible] के ससुर ने अपने जीवन काल में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

13.07.2019 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 150/141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 12.3050 है0 भूमि यानी अपनी खरीदशुदा समस्त भूमि की वसीयत अपने निम्न प्रकार से की जिसके अनुसार उतरी पासा की 1/2 हिस्सा भूमि विकास कस्वां व धीरज कस्वां पि0 हरदत सिंह जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर के पक्ष में ब0 हि0 ब0 व दक्षिण पासा की 1/2 हिस्सा भूमि सुमित्रा पत्नी संदीप कुमार, रमन व अमन कस्वां पि0 संदीप कुमार जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर के पक्ष में ब0 हि0 ब0 करवाई थी। वसीयतकर्ता रतिराम पुत्र पेमाराम ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब बहकाव भय या प्रलोभन के दो गवाह दयाराम पुत्र प्रेमराज जाति सुथार निवासी किकराली तहसील नोहर व विजयसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट (गोदारा) निवासी किकराली तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे तथा वसीयत नोटेरी जसवंतसिंह आर्य, नोहर से दिनांक 13.07.2019 को तस्दीक हुई। तरतीबी प्रतिवादीगण को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित कर निवेदन किया की इनका जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। अतः मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 150/141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 12.3050 है0 भूमि वादीया के ससुर रतिराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत रतीराम पुत्र पेमाराम द्वारा दिनांक 13.07.2019 को उक्त वसीयत उक्त वाद भूमि के उत्तरी पासा की 1/2 हिस्सा भूमि विकास कस्वां व धीरज कस्वा पि0 हरदत सिंह व दक्षिण पासा की 1/2 हिस्सा भूमि सुमित्रा पत्नी संदीप कुमार, रमन व अमन कस्वा पि0 संदीप कुमार के पक्ष में बहिब करवाई गई है। वसीयत के गवाहान मोहनलाल पुत्र श्रवण कुमार द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है की उक्त वसीयत सही है तथा बुधराम, विनोद कुमार व नवीन कुमार ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार रतीराम का देहांत हो चुका है वादी अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 150/141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 12.3050 है0 भूमि में मृतक रतिराम पुत्र पेमाराम के नाम का कलमजन किया जाकर खसरा नं. 18 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4.3760 है0 भूमि व खसरा नं. 195 के मिन उत्तर की 1.776 है0 कुल 6.152 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा नं. 195 के मिन दक्षिण की 6.153 है0 भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –890 / 2024

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–– प्रतिवादीगण

2. विकास कस्वां पुत्र हरदत कस्वाँ जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. धीरज कस्वां पुत्र हरदत कस्वां जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रमन पुत्र संदीप जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. अमन कस्वाँ पुत्र संदीप कस्वाँ जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 890 सन 2024 निर्णय दिनांक 10/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 150 / 141 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 12.3050 है0 भूमि में मृतक रतिराम पुत्र पेमाराम का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 18 की 4.3760 है0 भूमि व खसरा नं. 195 के मिन उत्तर की 1.776 है0 कुल 6.152 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा नं. 195 के मिन दक्षिण की 6.153 है0 भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/2024 कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:54 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर